# <u>सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर</u>

प्रकरण सं. दावा/92/2012 दर्ज दिनांकः–08.06.2012

1. जगदीश पता– .........प्रार्थी

बनाम

2. अधिशाषी अभियंता पी.डब्लू.डी.
पता– ............अप्रार्थीगण

उपस्थितः
रूपेन्द्रसिंह प्राथी अभिभाषक
विजयसिंह फौजदार अप्राथी अभिभाषक

## <u>निर्णय</u>

दिनांकः–29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपनी खातेदारी के ख.नं. 1268/0.07 है0 स्थित ग्राम महंगाया के सम्बन्ध में धारा 188 आर.टी.ए. का दावा पी.डल्बू.डी. विभाग को पक्षकार प्रतिवादी बनाकर किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि सड़क ग्राम अवार की तरफ से बन रही है। जबकि पी.डल्बू.डी. के जवाब दावा के अनुसार सड़क बन चुकी है तथा राज. ए.डी.एम. भरतपुर के पत्रांक 257 दिनांक 01.02.2006 है। आज दिनांक में महंगाया से अबार सड़क पर कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। सड़क के मध्य से 30 फीट दोनों तरफ राज्य सरकार के अधीनस्थ रोड़ निर्माण एवं मेन्टीनेन्स के समय मिट्टी उठाई जाती है। वादी इस दावे की आड़ में गै. मु. सड़क सिवायचक मकबूजा राज की आराजी पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। दावा वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

<u>अतः आज्ञा है किः–</u>

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official